रजिस्ट्री सं. डी.एल. (एन) 04/0007/2003—05 REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-02052023-245589
CG-DL-W-02052023-245589

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 16] नई दिल्ली, अप्रैल 23—अप्रैल 29, 2023, शनिवार/ वैशाख 3,—वैशाख 9, 1945
No. 16] NEW DELHI, APRIL 23—APRIL 29, 2023, SATURDAY/ VAISAKHA 3,— VAISAKHA 9, 1945

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रुप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए गए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, 13 अप्रैल, 2023

सा.का.नि. 42.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और राष्ट्रीय संचार रोग संस्थान (वर्ग 'ग' पद), भर्ती नियम, 1980 को, जहां तक उनका संबंध अवर श्रेणी लिपिक के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के अधीन राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र में अवर श्रेणी लिपिक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात्:-

(i) **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र, अवर श्रेणी लिपिक (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2023 है।**

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.**—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उससे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है ।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि.**—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **निरर्हता**: वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए, किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
अवर श्रेणी लिपिक	18* (अठारह) [2023] *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अनुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-2 (19900-63200 रुपये)।	अचयन।	18 से 27 वर्ष के बीच। (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदशों अथवा आदेशों के अनुसार विभागीय अभ्यर्थियों के लिए ऊपरी आयु सीमा चालीस वर्ष की आयु तक शिथिल की जा सकती है।) **टिप्पण :** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख़ कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नियत की जाएगी।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
आवश्यक अर्हताएं: (i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण।	जी हाँ, स्तंभ(11) में निर्दिष्ट सीमा तक।	दो वर्ष। टिप्पण: केंद्रीय	(क) 85% कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से

(ii) मैनुअल टाइपराइटर पर अंग्रेजी में तीस शब्द प्रति मिनट या हिन्दी में पच्चीस शब्द प्रति मिनट की टंकण गति; या (iii) कंप्यूटर पर अंग्रेजी में पैंतीस शब्द प्रति मिनट या हिन्दी में तीस शब्द प्रति मिनट की टंकण गति(प्रत्येक शब्द के लिए 5 की डिप्रेशन के औसत पर 10500 की डिप्रेशन प्रति घंटा/9000 की डिप्रेशन प्रति घंटा के अनुरूप 35 शब्द प्रति मिनट और 30 शब्द प्रति मिनट।		सरकार द्वारा यथाविहित परिवीक्षा को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिये कम से कम 2 सप्ताह की अवधि का एक अनिवार्य प्रवेश प्रशिक्षण होगा।	सीधी भर्ती द्वारा; (ख) 10% विभागीय अर्हक परीक्षा द्वारा; (ग) 5%ज्येष्ठता-सह उपयुक्तता द्वारा।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा	**यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना**	**भर्ती की किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा**
(11)	**(12)**	**(13)**
(i) विभागीय अर्हक परीक्षा द्वारा: वेतन मैट्रिक्स के स्तर-1 (18000-56900 रुपये) में ऐसे समूह 'ग' कमर्चारी वृन्द में से दस प्रतिशत रिक्तियां विभागीय अर्हक परीक्षा के आधार पर भरी जाएंगी, जो किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण हैं और जिन्होंने उस श्रेणी में तीन वर्ष की नियमित सेवा की हो। **टिप्पण 1:** परीक्षा हेतु पात्रता के लिये अधिकतम आयु-सीमा साधारण अभ्यर्थियों के लिए पैंतालीस वर्ष और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों की दशा में पच्चास वर्ष होगी)। **टिप्पण 2:** यदि इस खंड(i) के अधीन उपलब्ध कर्मचारियों में से परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले कर्मचारियों की संख्या, उपलब्ध रिक्तियों की संख्या से अधिक हो, तो उत्तरवर्ती वर्षों में होने वाली रिक्तियों को भरने के लिये ऐसे अतिरेक कर्मचारियों पर विचार किया जायेगा, ताकि पहले के परीक्षा में अर्हित होने वाले कर्मचारियों पर, बाद की परीक्षा में अर्हित कर्मचारियों से पहले विचार किया जा सके। (ii) ज्येष्टता-सह-उपयुक्तता के आधार पर: पाँच प्रतिशत रिक्तियाँ वेतन मैट्रिक्स के स्तर-1 (18000-56900 रुपये) में ऐसे समूह 'ग' कर्मचारियों में से ज्येष्ठता-सह-उपयुक्तता के आधार पर भरी जाएंगी, जिन्होंने उस श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा की हो । **टिप्पण:** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों पर भी विचार किया	(I) समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:- 1. अपर निदेशक रैंक के अधिकारी, राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केन्द्र, दिल्ली - अध्यक्ष; 2. संयुक्त निदेशक रैंक के अधिकारी, राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केन्द्र, दिल्ली - सदस्य; 3. स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय में उप निदेशक (प्रशासन) और उससे ऊपर रैंक के अधिकारी - सदस्य, 4. सहायक निदेशक(प्रशासन) या प्रशासनिक अधिकारी, राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केन्द्र, दिल्ली - सदस्य। (II) समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:- 1. अपर निदेशक रैंक के अधिकारी, राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केन्द्र, दिल्ली - अध्यक्ष;	लागू नहीं होता ।

जाएगा, परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से अथवा दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।	2. संयुक्त निदेशक रैंक के अधिकारी, राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केन्द्र, दिल्ली - सदस्य; 3. स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय में उप निदेशक (प्रशासन) और उससे ऊपर रैंक के अधिकारी - सदस्य, 4. सहायक निदेशक(प्रशासन) या प्रशासनिक अधिकारी, राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केन्द्र, दिल्ली -सदस्य।	

[फा. सं. ए-12026/02/2012-स्था.(भाग 1)]

धर्मेंद्र सिंह, अवर सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

New Delhi, the 13th April, 2023

G.S.R. 42(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the National Institute of Communicable Diseases (Group ‘C’ Posts), Recruitment Rules, 1980, in so far as it relates to the post of Lower Division Clerk, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Lower Division Clerk in the National Centre for Disease Control under the Directorate General of Health Services, Ministry of Health and Family Welfare, namely:-

1. **Short title and commencement.—**(1) These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, National Centre for Disease Control, Lower Division Clerk (Group ‘C’ Post) Recruitment Rules, 2023.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and level in pay matrix.—**The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications etc.—**The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification.—**No person, -

   (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

   (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

   shall be eligible for appointment to the said post:

   Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.—**Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.—**Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and the other special categories of person in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	**Number of post.**	**Classification.**	**Level in pay matrix.**	**Whether selection post or non-selection post.**	**Age-limit for direct recruits.**	**Educational and other qualifications required for direct recruits.**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**
Lower Division	18 (Eighteen)	General Central Service, Group	Level-2 in the pay	Non-selection.	Between 18 and 27 years of age.	Essential qualifications:

Clerk.	[2023] * Subject to variation dependent on workload.	'C', Non-Gazetted, Ministerial.	matrix (Rs.19900-63200).		(The upper age-limit is relaxable for the departmental candidates up to the age of forty years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). **Note:** The crucial date for determining the age-limit shall be as fixed by the Staff Selection Commission.	(i) 12th Class pass from a recognised Board. (ii) a typing speed of thirty words per minute in English or twenty-five words per minute in Hindi on manual typewriter; or (iii) a typing speed of thirty-five words per minute in English or thirty words per minute in Hind on computer. (thirty-five words per minute and thirty words per minute correspond to 10500 Key Depressions Per Hour/9000 Key Depressions Per Hour on an average of five key depressions for each word).

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruit will apply in the case of promotees.	**Period of probation, if any.**	**Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.**	**In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption grades from which promotion or deputation/ absorption to be made.**	**If Departmental promotion Committee exists, what is its composition.**	**Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.**
(8)	**(9)**	**(10)**	**(11)**	**(12)**	**(13)**
Yes, to the extent indicated in column (11).	Two years. Note: There shall be a mandatory induction training of at least two weeks duration for successful completion of probation as prescribed by the Central Government.	(a)Eighty-five per cent. by direct recruitment through Staff Selection Commission; (b)Ten per cent. by through the Departmental qualifying examination; (c)Five per cent. by through seniority-cum-fitness basis;	(i)by through the Departmental qualifying examination: Ten per cent. of the vacancies shall be filled from amongst the Group 'C' Staff in the level-1in the pay matrix (Rs 18000-56900) and who possess 12th class pass and have rendered three years regular service in the grade, on the basis of departmental	(I) Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of: - 1. Officer of the rank of the Additional Director, National Centre for Disease Control, Delhi - Chairman; 2. Officer of the Rank of Joint Director, National Centre for Disease Control, Delhi – Member;	Not applicable.

			qualifying examination. **Note 1:** The maximum age-limit for eligibility for examination is up to the age of forty-five years for general candidates and up to age of fifty years of belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes. **Note 2:** If more of such employees than the number of vacancies available under this clause (i) qualified at the examination, such excess number of employees shall be considered for filling the vacancies arising in the subsequent years so that the employees qualifying at an earlier examination are considered before those who qualify at a later examination. (ii)by through Senior-cum-fitness basis: Five per cent. of the vacancies shall be filed on seniority-cum- fitness basis from Group 'C' employees in the level-1 in the pay matrix (Rs. 18000-56900) who have three years regular service in the grade. **Note:** Where juniors, who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also	3. Officer of the rank of the Deputy Director (Administration), and above from Directorate General of Health Services, - Member, 4. Assistant Director (Administration) or Administrative Officer, National Centre for Disease Control, Delhi - Member. (II)Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of: - 1. Officer of the rank of the Additional Director, National Centre for Disease Control, Delhi-Chairman; 2. Officer of the Rank of Joint Director, National Centre for Disease Control , Delhi – Member; 3. Officer of the rank of the Deputy Director (Administration), and above from Directorate General of Health Services, - Member, 4. Assistant Director (Administration) or Administrative Officer, National Centre for Disease Control, Delhi-Member.	

			be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grades along with their juniors, who their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.		

[F. No. A-12026/02/2012-Estt. (Part-I)]

DHARMINDER SINGH, Under Secy.

जल संसाधन मंत्रालय

(जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग)

नई दिल्ली, 20 अप्रैल, 2023

सा.का.नि. 43(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और केन्द्रीय जल आयोग, अननुसचिवीय (वायरलैस सेवा), समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2002 के अधिक्रमण में, उन बातों के सिवाय जहां ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, केन्द्रीय जल आयोग में कनिष्ठ अभियन्ता (संचार) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात :-

1. **संक्षिप्त नाम और आरम्भ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, केन्द्रीय जल आयोग, कनिष्ठ अभियन्ता (संचार), समूह 'ख' पद, भर्ती नियम, 2023 होगा।

   (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन -मैट्रिक्स में स्तर.**—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण, उससे संबंधित उनका वेतन -मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.**—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति –

   (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

   (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृति.**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गो, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	**पद की संख्या**	**वर्गीकरण**	**वेतन मैट्रिक्स में स्तर**	**चयन पद है अथवा अचयन पद**	**सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा**	**सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
कनिष्ठ इंजीनियर (संचार)	29(2023)* कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ख', अननुसचिवीय, अराजपत्रित।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6 (35400-112400 रूपए)	चयन	बत्तीस वर्ष से अधिक नहीं। (केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिलनीय)। टिप्पणी: आयु-सीमा के निर्धारण के लिए निर्णायक तारीख कर्मचारी चयन आयोग द्वारा दिए गए विज्ञापन के अनुसार होगी।	अर्हता: (क) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से इलेक्ट्रोनिक्स अथवा इलेक्ट्रिकल या रेडियो टेलिकम्यूनिकेशनस इंजीनियरिंग में डिप्लोमा। (ख) अनुभव: किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान या सरकारी कार्यालय या सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम या सांविधिक या स्वायत्त संगठन से अलग-अलग वायरलैस उपकरणों के प्रचालन और रखरखाव में दो वर्षों का अनुभव **टिप्पण 1:** आवेदकों के अन्यथा सुअर्हित होने की दशा में कारणों को लेखबद्ध करके कर्मचारी चयन आयोग सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अर्हताओं में छूट दी जा सकती है। **टिप्पण 2:** अनुभव संबंधी योग्यताएं कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकरण के निर्णय पर छूट है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित उम्मिदवारों के मामले में कारण रिकार्ड किए जाएं, यदि चयन के किसी भी चरण में कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकरण का विचार है कि अपेक्षित अनुभव रखने वाले इन समुदायों से उम्मीदवारों की प्रर्याप्त संख्या मुख्यतः उनके लिए आरक्षित रिक्ति को भरने के लिए उपलब्ध नहीं है।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	**परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो**	**भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों के आधार पर भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता**	**प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।**
8	**9**	**10**	**11**
लागू नहीं होता।	दो वर्ष। **टिप्पण:** परिवीक्षा की अवधि सफलातापूर्वक पूरा करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा निर्धारित कम से कम दो	90 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा। 10 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा, ऐसा न होने पर सीधी भर्ती	**प्रोन्नति :** ग्रेड में नियमित सेवा के 10 वर्षों से पे मैट्रिक्स (25500-81100 रूपए) में स्तर-4 में तकनीकी सहायक (संचार एवं

	सप्ताह का प्रेरक प्रशिक्षण अनिवार्य होगा।		रखरखाव) और संचार नेटवर्क, वायरलैस या टेलीमेट्री नेटवर्क के संस्थपान के लिए स्थल चुनाव मानदंड, स्थल पर संचार प्रणाली के मरम्मत या रखरखाव, नजदीकी टेलीमेट्री स्टेशन का दौरा, राष्ट्रीय जल अकादमी, पुणे से स्वचलित मौसम प्रणाली प्रयोगशाला के रूप में दो सप्ताह का सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूरा किया हो। **टिप्पण:** जहां कनिष्ठों, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, पर पदोन्नति के लिए विचार किया जा रहा है, उनके वरिष्ठों पर भी विचार किया जाएगा, बशर्ते कि वे अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा से आधे से अधिक ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा या दो वर्ष, जो भी हो, से कम न हों और उन्होंने अपने कनिष्ठों के साथ, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगले उच्चतर ग्रेड में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	**भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।**
12	13
समूह 'ख' विभागीय पदोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:- 1. मुख्य अभियन्ता, केन्द्रीय जल आयोग - अध्यक्ष 2. सचिव या निदेशक (प्रशासन) या निदेशक (स्थापना), केन्द्रीय जल आयोग - सदस्य; 3. केन्द्रीय जल आयोग के किसी तकनीकी निदेशालय से निदेशक - सदस्य; समूह 'ख' विभागीय पुष्टिकरण समिति (पुष्टिकरण पर विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:- 1. मुख्य अभियन्ता, केन्द्रीय जल आयोग- अध्यक्ष;	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

2. सचिव या निदेशक (प्रशासन) या निदेशक (स्थापना), केन्द्रीय जल आयोग- सदस्य; 3. केन्द्रीय जल आयोग के किसी तकनीकी निदेशालय से निदेशक- सदस्य;	

[फा. सं. ए-12018/18/2017-स्था.I]

अनिल कुमार शर्मा, अवर सचिव

MINISTRY OF JAL SHAKTI

(Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation)

New Delhi, the 20th April, 2023

G.S.R. 43(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Central Water Commission (Non-Ministerial Group 'C' posts (Wireless services) Recruitment Rules, 2002, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Junior Engineer (Communication) in the Central Water Commission under the Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation, Ministry of Jal Shakti, namely:-

1. **Short title and commencement.—**(1) These rules may be called the Ministry of Jal Shakti, Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation, Central Water Commission, Junior Engineer (Communication),Group 'B' Post, Recruitment Rules, 2023.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and level in pay matrix.—**The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.—**The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification.—**No person,-

   (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

   (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.—**Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.—**Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of the age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	**Number of post.**	**Classification.**	**Level in pay matrix.**	**Whether selection post or non-selection post.**	**Age-limits for direct recruits.**	**Educational and other qualifications required for direct recruits.**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**
Junior Engineer (Communication).	29(2023)* Subject to variation dependent	General Central Service, Group 'B', Non	Level-6 in the pay matrix. (Rs.35400-112400).	Selection.	Not exceeding thirty years of age. (Relaxable for	(a) Essential qualification: Diploma in Electronics or Electrical or Radio

	on workload.	Ministerial, Non-Gazetted.			the Government servants upto the age of five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). **Note:** The crucial date for determining the age-limit shall be advertised by the Staff Selection Commission.	Telecommunication Engineering from a recognised University or institute. (b) Experience: Two years experience in operation and maintenance of various wireless equipment from any recognised institute or Government office or public sector undertaking or statutory or autonomous organisation. **Note 1:** Qualifica-tions are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or competent authority, for reasons to be recorded in writing, in case of candidates otherwise well qualified. **Note 2:** The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or competent authority, for reasons to be recorded in writing in case of candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes, if at any stage of selection the Staff Selection Commission or competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities

						possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	**Period of probation if any.**	**Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.**	**In case of recruitment by promotion or by deputation/ absorption, grades from which promotion or deputation/ absorption to be made.**
(8)	**(9)**	**(10)**	**(11)**
Not Applicable.	Two years. Note: There shall be a mandatory induction training of at least two weeks duration for successful completion of probation, as prescribed by the Department, for direct recruits.	(i) ninety per cent. by direct recruitment; (ii) ten per cent. by promotion failing which direct recruitment.	**Promotion:** Technical Assistant (Communication and Maintenance) in level-4 in the pay matrix (Rs. 25500-81100) with ten years of regular service in the grade and having successfully completed training of two weeks in Modes of Communication Network, Site selection criteria for installation of Wireless or Telemetry network, Repair or Maintenance of communication systems at Site, Visit to nearby telemetry station, Automatic Weather System Lab from National Water Academy, Pune. **Note :** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	**Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment**
(12)	**(13)**
Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:- 1. Chief Engineer, Central Water Commission - Chairman; 2. Secretary or Director (Administration) or Director (Establishment), Central Water Commission – Member; 3. Director from any Technical Directorate, Central Water Commission - Member. Group 'B' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:-	Consultation with the Union Public Service Commission is not necessary.

1. Chief Engineer, Central Water Commission - Chairman; 2. Secretary or Director (Administration) or Director (Establishment), Central Water Commission - Member; 3. Director from any Technical Directorate, Central Water Commission – Member.	

[F. No. A-12018/18/2017-E-I]

ANIL KUMAR SHARMA, Under Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2023.05.02 16:39:56 +05'30'